



कार्यालय आजमगढ़ विकास प्राधिकरण, आजमगढ़ ।

आवश्यक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आजमगढ़ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पालिका सीमा सहित कुल 159 गांव सम्मिलित है। आजमगढ़ महायोजना- 2031 में तमसा नदी के किनारे दोनों तरफ वनीकरण भू-उपयोग क्षेत्र दर्शित है। उक्त भू-उपयोग में किसी भी प्रकार का निर्माण किया जाना पूर्णतया वर्जित है, इसके अतिरिक्त महायोजना- 2031 के अन्तर्गत भू-उपयोग में सहूलियत दी गयी है तथा यह भी सूचित करना है कि आजमगढ़ विकास क्षेत्र में प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किसी भी प्रकार का कोई निर्माण न करें, ऐसे निर्माण के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम- 1973 (यथा संशोधित- 2008) के प्राविधानों के अनुसार सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, जिसमें अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त/सीलबन्द किया जायेगा। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण सीमान्तर्गत कुल 159 राजस्व ग्रामों की सूची आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाईट www.adaazamgarh.in पर उपलब्ध है।

Axal
सचिव

आजमगढ़ विकास प्राधिकरण
आजमगढ़ । 21.3.24